



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मोप्र० नवालियर

प्र०क० R 11/17

f 909-II-17

1—शराफत अली पुत्र बशीर अली

2—फरीदा बेगम पत्नी शराफत अली

निवासी पुराना अस्पताल चीलघर के
पीछे वार्ड नं० 13 श्योपुर तहो व
जिला श्योपुर मोप्र०

.....आवेदक

बनाम

दिलदार पुत्र मुनीर खँ निवासी
शीतला पाडा श्योपुर तहसील व
जिला श्योपुर मोप्र०

.....अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 22/02/2017

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

श्योपुर के प्र०क० 264/12-13×दी/121 निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-रात्रसं सहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत हैं—

1— यह कि वार्ड क० 13 श्योपुर स्थित आवास क० 20 साइज 20×30 भूमि सर्वे क० 623 का मोप्र० नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना अधिनियम 1984 के अन्तर्गत वर्ष 1998 में आवास हेतु पट्टा आवेदक को प्रदान किया गया था।

2— यह कि उक्त आवासी प्लाट पर पट्टा दिनांक के पश्चात भवन निर्माण कर आवेदक अपने मय परिवार के निवास कर रहा है।

3— यह कि अनावेदक द्वारा असत्य आधार पर 15 वर्ष पश्चात दिनांक 26/08/2013 को एक आवेदन पत्र आवेदक के आवास पट्टे को निररत

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.909-दो/2017

जिला १योपुर

शराफत अली अन्य विरुद्ध दिलदार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--

२२-08-19

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला १योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 264/2012-13-वी/121/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - १योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

(जी० के० जैन)
सदस्य